पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कैम्प मुख्यालय जालिया द्वितिय पर पेश हुई। उभय पक्षान अमालतन वकालतन हाजिर। प्रतिवादी वकील ने अपने प्रार्थना पत्र दिनाक २०-५-१६ की और ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन किया कि वादी ने O1 R10 जा.दी.के प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनाक २-७-१५ की पालना में आदिनाक से शोधित वाद एवं उनवान पेश नही किया है जो अन्दर मयाद 15 दिन में पेश हो जाना चाहिये था। प्रतिवादी वकील ने वितर्क में कोई सार्थक तर्क पेश नही किये। प्रार्थना पत्र प्रतिवादी न्यायिक आधार पर लाया गया है। वादी आदिनाक पालना करने से काशिर रहा है इसलिए वाद पत्र विधिनुसार कार्यवाही स्वत: ही अबेट हो जाती है। अत: प्रार्थना पत्र प्रतिवादी स्वीकार किया जाता है। तथा वाद पत्र पर कार्यवाही अदम उदुली में अबेट की जाती है। मिसल फैसल शुमार हो। नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
(अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.04 16:35:03 IST
Reason: SelfAttested